



सत्यमेव जयते

राजस्थान राज-पत्र
विशेषांक

RAJASTHAN GAZETTE
Extraordinary

साधिकार प्रकाशित

Published by Authority

कार्तिक 8, सोमवार, शके 1939-अक्टूबर 30, 2017
Kartika 8, Monday, Saka 1939- October 30, 2017

भाग 1 (ख)

महत्वपूर्ण सरकारी आज्ञायें।

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-2) विभाग

अधिसूचना

जयपुर, अक्टूबर 30, 2017

संख्या प-8(25)चिस्वा/2/64 पार्ट :-राज्य सरकार भेषजी अधिनियम (फार्मसी एक्ट) 1948

(केन्द्रीय अधिनियम, 1948 की संख्या 8) की धारा 19 (डीडी) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री राजाराम शर्मा, औषधि नियंत्रक औषधि नियंत्रण संगठन, जयपुर को राजस्थान भेषजी परिषद का पदेन सदस्य अधिसूचित करती है।

राज्यपाल की आज्ञा से,
पारस चन्द जैन,
शासन उप सचिव।

273

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।

राजस्थान सरकार

औषधि नियंत्रण संगठन कमरा नम्बर 308, तृतीय तल, स्वास्थ्य भवन, तिलक मार्ग, जयपुर, राजस्थान।

email:- rajdrugcontroller200@gmail.com

Phone No. 0141-2221670

क्रमांक/डीसी/डी-2/आर.पी.सी./2017/305
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

दिनांक 02/11/2017

1. विशिष्ट सचिव, मा0 चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण व आयुर्वेद मंत्री महोदय, राज0 सरकार।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. निजी सचिव, मिशन निदेशक, आर.एम.एस.सी.एल. राज0, जयपुर।
5. निजी सचिव, मिशन निदेशक, एन.एच.एम. राज0, जयपुर।
6. औषधि महानियंत्रक (भारत), सी.एच.ई.बी. कॉम्प्लेक्स, कोटला रोड, नई दिल्ली।
7. उप औषधि नियंत्रक (भारत), सी.डी.एस.सी.ओ. उत्तरी क्षेत्र, कमला नेहरू नगर, गाजियाबाद, उ.प्र.देश।
8. शासन उप सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-2) विभाग, राज0, जयपुर।
9. समस्त जिला कलेक्टर, राजस्थान राज्य।
10. समस्त कन्ट्रोलर/औषधि नियंत्रक।
11. निदेशक (जन स्वा./प.क./आई.ई.सी./ई.एस.आई./एम.एस.यू.) चिकि0 एवं स्वा0 सेवायें, राज0, जयपुर।
12. प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक, मेडिकल कॉलेज, जयपुर/बीकानेर/जोधपुर/कोटा/अजमेर/उदयपुर (राज0)
13. अधीक्षक, सामुहिक चिकित्सा संघ, जयपुर/बीकानेर/जोधपुर/कोटा/अजमेर/उदयपुर (राज0)
14. संयुक्त निदेशक, चिकि0 एवं स्वा0 सेवायें, जोन जयपुर/ बीकानेर/ जोधपुर/ कोटा/ अजमेर/ उदयपुर/ भरतपुर राज0, जयपुर।
15. रजिस्ट्रार, इण्डियन फार्मसी काउन्सिल, नई दिल्ली।
16. रजिस्ट्रार, राजस्थान फार्मसी काउन्सिल, जयपुर।
17. समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, राजस्थान।
18. समस्त प्रमुख चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, राजस्थान।
19. समस्त सहायक औषधि नियंत्रक, राजस्थान।
20. समस्त औषधि नियंत्रण अधिकारी, राजस्थान।
21. सचिव, जयपुर मेडिकल एसोशिएशन, जयपुर।
22. राजस्थान केमिस्ट एसोशिएशन, दवा बाजार, जयपुर।
23. प्रभारी, सर्वर रूम (मु0) को भेजकर लेख है कि कृपया पत्र को उक्त सभी को ई-मेल एवं संगठन के वेब पेज पर प्रदर्शित करने का श्रम करावें।
24. रक्षित पत्रावली।

(राजा राम शर्मा)
औषधि नियंत्रक,
राज0 जयपुर